

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 88 / 2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023 / 498)

1. मूलचंद
2. प्रहलाद
3. कालू

पुत्रान गंगासहाय जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

– अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार / तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 06.12.2019 जो अपील संख्या 44 / 2019 अनुवानी मूलचंद बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया गया।

उपस्थित :-

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्त।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 28.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.10.2023 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, बहरावण्डा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 28.02.2019 द्वारा ग्राम बहरावण्डा, तहसील बहरावण्डा की आराजी भूमि खसरा नम्बर 497 कुल रकबा 1.90 है० में से 0.01 है० किस्म सिवाय चक (गै०मु० तलाई) पर संवत् 2075 में गै०मु० बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन से अतिचार करने पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 3 माह (90 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2019 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्तस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा दिनांक 28.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 06.12.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि गैर मुमकिन बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन नवीन अतिचार है और कानूनन जब तक पूर्व बेदखली सिद्ध नहीं हो नवीन अतिचार पर सिविल कारावास की सजा पारित नहीं की जा सकती है। कानूनन जब तक पूर्व बेदखली व पुनः अतिचार सिद्ध नहीं हो तब तक सजा जैसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व बेदखली व पुनः अतिचार सिद्ध हुए बिना सजा जैसा

आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। कानूनन यदि किसी सरकारी भूमि में गैर मुमकिन बोरिंग कर ली हो तो बोरिंग मात्र 10 गज में होती है और जिसे कुआ हेतु नियमन करने का प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधान पर गौर किये बिना और अपीलान्ट का 0.01 है0 पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी 0.01 है0 पर कब्जा मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 6.12.2019 की कतई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 06.09.2023 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके और तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष पेश किया तो अपीलान्ट ने जमानत करवायी और जानकारी की तो मालूम पडा कि अपीलान्ट की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 6.12.2019 को खारिज कर दिया है। तब अपीलान्ट ने अपने अपील के अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होने कहा कि मैं आपको अपील का फैसला बताना भूल गया अब आप नकल लेकर के और आगे कार्यवाही करो तब अपीलान्ट ने तहसील बहरावण्डा से नकल हेतु दिनांक 12.09.2023 को आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 13.09.2023 को मिली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 की नकल हेतु दिनांक 22.09.2023 को आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 26.09.2023 को मिली। उसके बाद दिनांक 28.09.2023 व 30.09.2023 से 2.10.2023 तक अवकाश होने के कारण अपील तैयार कर जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद स्वीकार कर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 व उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2075 रबी में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 497 कुल रकबा 1.90 है0 में से 0.01 है0 किस्म सिवायचक (गै0मु0 तलाई) पर गै0मु0 बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 के द्वारा बेदखल एवं पैनल्टी कायम करने साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उप तहसीलदार बहरावण्डा से वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट प्राप्त की। उप तहसीलदार बहरावण्डा से वर्तमान स्थिति की जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार ग्राम बहरावण्डा के खसरा नं. 497 कुल रकबा 1.90 है0 में से 0.01 है0 किस्म गै0मु0 तलाई पर अतिक्रमी मूलचन्द पुत्र गंगासहाय जाति माली निवासी बहरावण्डा वगैरह द्वारा बोरिंग कर अतिक्रमण कर रखा है। वर्तमान में अतिक्रमण यथावत है। अतः अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.09.2023 को होना अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रुख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के

आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम रवीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देशी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में अपीलान्टस ने संवत् 2075 रबी में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 497 कुल रकबा 1.90 है० में से रकबा 0.01 है० किस्म सिवायचक (गै०मु० तलाई) पर गै०मु० बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलान्ट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्टस को नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2019 को उपस्थित हुये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने उप तहसीलदार बहरावण्डा से मौके पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुनः जांच कराई गई। उप तहसीलदार से मौका रिपोर्ट में ग्राम बहरावण्डा की गै०मु० तलाई भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है० भूमि पर बोरिंग का अतिक्रमण यथावत होना अंकित किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन तलाई पर अतिक्रमण किया गया है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण निर्णय के प्रतिकूल है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 06.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर

निर्णय दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर